



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 327 राँची, सोमवार, 16 चैत्र, 1948 (श०)
6 अप्रैल, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प
26 फरवरी, 2026

संख्या-13/ने. 06-06/2025/701---

विषय:-राज्य में संचालित नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु स्वीकृत पदों पर सीधी नियुक्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

अविभाजित बिहार राज्य के समय से वर्तमान झारखण्ड राज्य की सीमान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट संचालित है। इस विद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है।

2. नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक संचालित होने के कारण, कक्षा 9 से कक्षा 12 हेतु, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 हेतु सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित की नियुक्ति करनी होगी।

3. उक्त आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्राचार्य/उप-प्राचार्य/ सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कक्षा 9-12) एवं सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6-8) तथा शिक्षकेतर कर्मियों के वर्तमान में उपलब्ध/नामांतरण उपरांत उपलब्ध पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2026** के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन था ।

4. प्राचार्य, उप प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कक्षा 9-12), सह-अध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6-8), अनुदेशकों एवं प्रयोगशाला प्रदर्शकों आदि की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाले विद्यालय के लिए की जा रही है, अतः उन्हें भाषा संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य को अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन संपादित करने में दक्ष होना आवश्यक होगा। अतः नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सभी पदों पर नियुक्ति हेतु **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2026** के गठन (अधिसूचना प्रति संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-24.02.2026 की बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह

सरकार के सचिव ।
